संख्या:वे0आ0-1-166/दस-12(एम)/95

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 8 मार्च 1995

विषय:- समयमान वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या:वे0आ0-1-763/दस-39(एम)/89 दिनांक:3 जून, 1989, जहाँ तक इसका संबन्ध राजकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतन वृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से है, के प्रस्तर-3(9) तथा प्रस्तर-3(10) को दिनांक:01 मार्च, 1995 से समाप्त करते हुये इसी तिथि अर्थात 1-3-95 से उन, ऐसे राजकीय कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू03500/- तक है, के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू03500/-तक है, जो 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक:01 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को संबन्धित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शनग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 8 वर्ष की सेवा के पश्चात एक वेतन वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड अथवा इसके अंतर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक:1-3-95 के पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू03500/-तक है और जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनको जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ

कृ0प0उ0

को तिथि को सम्मिलित करते हुये कुल 14 वर्ष की पूर्ण हो जाती है, प्रोन्नति
का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। वैयक्तिक प्रोन्नत
वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अंतर्गत देय एक वेतनवृद्धि की
6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। किन्तु सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा
... पूर्व में इसके अंतर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस
वास्तविक दिनांक से ... के लिए यदि किसी पद
धारक को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतन वृ...
लाभ 1-4-89 को मिल चुका था और उसकी सेवा इसके बाद संतोषजनक
अनवरत रही है और वह नियमित है/हो जाता है तो 1-3-95 को वैयक्तिक
प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद
नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरण स्वरूप
ऐसा पदधारक जो पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1200-2040 में है, उसे रू0 1350-
2200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान रूप में देय होगा।

§3§ ऐसे कर्मचारी, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/- है, जब
वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 6 वर्ष की निरन्तर
संतोषजनक सेवा तथा कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नति/
अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया
जाय अर्थात उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा।
किन्तु यदि किसी ... पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 16 वर्ष की
सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला ... पहले
मिल चुका है तो 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में
जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरण
स्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान
1-2-89 को मिल चुका था, तो 1-3-95 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक
अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

§4§ प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नति/अगले वेतनमान में एक वेतन वृद्धि
के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष
की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात ऐसे
कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला
वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है
उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।
उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो सेवा अवधि के आधार पर रू0 1350-
2200 के वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हो को रू0 1400-2300 का पुनरीक्षित
वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा।

2- उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 3-6-89 उक्त सीमा तक दिनांक: 1-3-95 से
संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

§ विनोद कुमार मित्तल §
प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1।
संख्या: 3क-315-2000, दिनांक: दिसम्बर 30, 2000

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषय: वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक: 2 दिसम्बर, 2000 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

(बी0 पी0 जोगदंड)
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या तथा दिनांक वही :-

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग, गोपनीय सहायक एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक: यथोपरि ।

DIG C/R
3/1/2001

संख्या-वे०आ०—2-560/दस-45 (एम)-99

प्रेषक,

श्री वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2000

विषय:—वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रथम वेतनवृद्धि

1—(1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगला वेतनमान

(2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/ कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों को पूरा करने पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

वेतन निर्धारण/ पुनर्निर्धारण

2—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर-(1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहां समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22-ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। शासनादेश संख्या-प० मा० नि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायें।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि

3—(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, जब उनके वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें [illegible] किया जाये। यह वेतन वृद्धियां सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् वार्षिक आधार पर देय होगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा। तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

4—(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) तथा 1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या–प० मा० नि०–357/दस–21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक–ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग-दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या 761/कार्मिक–1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात् की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगल वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात् देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जायं। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5—ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000—13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया

6—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

7—उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

8—(1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या–प०मा०नि०–356/दस–22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर–4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायं।

भवदीय,
वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–वे०आ०–2-560/दस-45(एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार, निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-वे०आ-2-560/दस-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या-वे०आ-2-560/दस—45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आर० एस० सिंह,
विशेष सचिव, वित्त।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 107 सा० वित्त—4-11-2000—(500)—20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1।
संख्या:3क-315-2000, दिनांक: दिसम्बर 30, 2000

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-560/दस-45(एम)-99, दिनांक:2 दिसम्बर, 2000 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक: यथोपरि।

(बी0 पी0 जोगदंड)
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही :-

प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय के समस्त विभाग, गोपनीय सहायक एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक: यथोपरि।

DIG E/R
3/1/2001